राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 211/2017..... जिला.....जयपुर.....

उनवान – मै0 भानू एजेन्सीज, बनीपार्क जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वृत्त–जी, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/02/2017	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री के.एल.जैन, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित आदेश दि. 16.03.2015 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आलौच्य अवधि में अपीलार्थी द्वारा कनफैक्शनरी आईटमो पर 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जाकर राजकोष में जमा कराया गया है। सशक्त अधिकारी द्वारा यह मानते हुए कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत उत्पाद ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी गुडस प्रोडक्टस अधिनियम की अनुसूची IV में अधिसूचित नहीं होकर, अनुसूची V से आच्छादित होने के कारण, सामान्य कर दर से कर योग्य है, इसलिये 8.5/10 प्रतिशत की दर से अंतर कर रूपये 3,33,020/– व ब्याज रूपये 1,79,772/– रूपये आरोपित किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 16.03.2015 द्वारा निम्न तालिकानुसार कर एवं ब्याज को यथावत रखा गया है, जिसके विरूद्ध व्यवहारी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।	

अ. सं.	अ.अधि. की अ.सं	कर निर्धारण वर्ष	कर	ब्याज	स्थगन हेतु आवेदित राशि
1	2	3	4	5	6
211/17	307	09–10	3,33,020	1,79,772	**5,12,792**

दोनों पक्षों की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री ओ.पी.मोहश्वरी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बताते हुए प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया। उनके द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीज शुगर केन्डी शुगर व ग्लूकोज के मिश्रण से विनिर्मित की जाती है। अपीलार्थी का उत्पाद अनुसूची IV में उल्लेखित प्रविष्टि में ही कवर्ड होता है। तथापि अपीलार्थी व्यवहारी ने अन्तर कर जमा करवा दिया है। ऐसे प्रकरणों में पूर्व में भी माननीय कर बोर्ड द्वारा स्थगन दिये जाते रहे है। अतः प्रकरण में प्रथम दृष्टतया सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में होना बताते हुए आरोपित कर एवं ब्याज को अपील के निस्तारण तक स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 211/2017..... जिला.....जयपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/02/2017	हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा बिक्रीज शुगर केन्डी शुगर व ग्लूकोज के मिश्रण से विनिर्मित की जाती है। अपीलार्थी द्वारा उक्त उत्पाद की स्थानीय खरीद की जाती है। स्थानीय विक्रेता मैसर्स पारले प्रोडक्टस प्रा0लि0, अजमेर द्वारा अन्तर कर जमा करवा दिया गया है अतः अपीलार्थी व्यवहारी पर दायित्व अत्यन्त न्यून है। अतः प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन व्यवहारी अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करने की शर्त पर अपील के निस्तारण तक उपरोक्त तालिका के कॉलम नं0 6 में वर्णित राशि को स्थगित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा। अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी का रिकार्ड शीघ्र तलब हो। प्रकरण सुनवायी हेतु दिनांक **17.04.2017 को खण्डपीठ** के समक्ष पेश हो । निर्णय सुनाया गया। **(के.एल.जैन)** **सदस्य** **(मदन लाल)** **सदस्य**	